

न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्यवहार वाद क्रमांक-103 ए/2014

संस्थापन दिनांक-30.10.2014

फाईलिंग क्र. 234503008032014

1-उजियारसिंह पिता स्व. सोनसिंह, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-सुनीताबाई पति स्व. दादूलाल, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-विनोद पिता स्व. दादूलाल, उम्र-38 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-मनोज पिता स्व. दादूलाल, उम्र-35 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-रिकेश पिता स्व. दादूलाल, उम्र-21 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

6-मुकेश पिता स्व. दादूलाल, उम्र-19 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7-जयसवाल पिता स्व. मंगलसिंह, उम्र-48 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम दानूटोला, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादीगण

विरुद्ध

1-कमलेश पिता सुन्दरलाल, उम्र-32 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम मोहबट्टा, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-संतोष पिता सुन्दरलाल, उम्र-29 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम मोहबट्टा, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-अनीता पिता सुन्दरलाल, उम्र-38 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम मोहबट्टा, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-म.प्र राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादीगण

—: // निर्णय // :—

(आज दिनांक-14/03/2016 को घोषित)

1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा दानूटोला प.ह.नं-13 रा.नि.मं. परसवाड़ा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-40, रकबा 14.21 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया गया है) पर मूल पुरुष बुद्ध के तीनों पुत्रों का समान स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा एवं तीनों पुत्रों के वारसानों को उनके अंश का बंटवारा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3- वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष स्व. बुद्ध के तीन पुत्रगण रामसिंह, सोनसिंह एवं मंगलसिंह थे, जो फौत हो चुके हैं। रामसिंह के वारसान प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 हैं, सोनसिंह का पुत्र वादी क्रमांक-1 उजियारसिंह तथा मंगलसिंह के वारसान वादी क्रमांक-2 से 7 हैं। मूल पुरुष बुद्ध के फौत होने पर उसकी विवादित भूमि तीनों पुत्रों के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत एक ही परिवार के व्यक्ति के नाम पर भूमि दर्ज होना था, इस कारण बुद्धसिंह ने उक्त विवादित भूमि रामसिंह के नाम पर दर्ज करा दी। रैयतवाड़ी प्रथा समाप्त होने से विवादित भूमि पर बुद्धसिंह के फौत उपरांत उसके तीनों वारसान रामसिंह, सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम दर्ज हुआ और तीनों ने अपना अंश बराबर-बराबर विभाजन में प्राप्त कर उसी अनुसार कास्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने जुलाई 2013 में विवादित भूमि पर वादीगण के कब्जे वाली भूमि पर कास्त करने से मना कर अपना कब्जा कर लिया। वादीगण ने विवादित भूमि के

राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया तो उन्हें यह जानकारी हुई कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में रामसिंह व प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 का नाम दर्ज है। विवादित भूमि उभयपक्ष की खानदानी पैतृक भूमि है, जिस पर वादीगण का अंश है। वादीगण ने विवादित भूमि पर स्वत्व घोषणा एवं 1/3 अंश का बंटवारा कराने का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 ने वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि रामसिंह वल्द बुद्धु की स्वअर्जित भूमि है। वादीगण के पिता सोनसिंह एवं मंगलसिंह ने वर्ष 1956 में अवैध रूप से विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम रामसिंह के साथ शामिल शरीक दर्ज करा लिया था, जिसकी जानकारी रामसिंह को होने पर उसने दिनांक-31.01.1968 को विवादित भूमि पर सोनसिंह एवं मंगलसिंह का नाम शामिल शरीक से खारिज करा दिया था। विवादित भूमि पर रामसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 का नाम दर्ज होने एवं कब्जा होने की वादीगण को प्रारंभ से जानकारी है। वादीगण का विवादित भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है। वादीगण का दावा सब्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-4 की ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है तथा वह पूर्व से एकपक्षीय है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित हैं :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा दानूटोला प.ह.नं 13, रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 40 रकबा 14.21 एकड़ भूमि पर वादीगण का वारसान हक के आधार पर स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि का बंटवारा कराकर वादीगण 1/3 अंश का पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण

7— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का खसरा फार्म वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 पेश की है, जिसमें रामसिंह एवं प्रतिवदी क्रमांक-1 से 3 का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 में मात्र रामसिंह को विवादित भूमि प्राप्त होने का लेख है। यद्यपि उक्त दस्तावेज में वर्ष 1954-55 की जमाबंदी के अनुसार पश्चात् में लाल स्याही से रामसिंह के साथ उसके भाईयों सोनसिंह एवं मंगलसिंह का भी नाम शामिल शरीक रूप से दर्ज होना प्रकट होता है, किन्तु उक्त संशोधन किस राजस्व अधिकारी के आदेश से किया गया, इसका उल्लेख होना प्रकट नहीं होता है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 के तफसील कॉलम में यह लेख है कि सन् 1954-55 की जमाबंदी के अनुसार प्रमाणीकरण अधिकारी के आदेशानुसार दिनांक-26.06.1956 को रामसिंह की रजामंदी से सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम खाते में शामिल किया गया। इसी कॉलम में लाल स्याही से यह भी उल्लेख है कि प्रकरण क्रमांक-87 अ-6/1966-67 नायब तहसीलदार बैहर के आदेश दिनांक-31.01.1968 के अनुसार सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम खारिज किया गया है।

8— वादीगण ने विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्राप्त होने का दावा इस आधार पर किया है कि रामसिंह के साथ उसके भाई सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम भी अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में दर्ज होने से तीनों भाईयों को विवादित भूमि पर समान अधिकार व हक प्राप्त है। वादीगण की ओर से यह भी तर्क पेश किया गया है कि उस समय रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी, जिसके अंतर्गत भूमि के राजस्व अभिलेख में परिवार के एक ही व्यक्ति के नाम पर भूमि दर्ज की जाती थी। उक्त के संबंध में वादीगण ने अपने वादपत्र में भी अभिवचन करते हुए वादी साक्षीगण उजियारसिंह (वा. सा.1), कमलसिंह (वा.सा.2) एवं शंभूलाल (वा.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है। यद्यपि साक्षी कमलसिंह (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसे रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में जानकारी नहीं है। वास्तव में वादी पक्ष की ओर से विवादित भूमि वाले क्षेत्र विशेष में कथित रैयतवाड़ी प्रथा के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिसे रूढ़ि या प्रथा के रूप में सामाजिक या कानूनी मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा वादी पक्ष की ओर से कथित रैयतवाड़ी क्षेत्र की भूमि होने के संबंध में

भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में कथित रैयतवाड़ी प्रथा के अनुसार संपत्ति प्राप्त होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

9— वादी पक्ष की ओर से विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के काबिज कास्त होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में विवादित भूमि पर काबिज होने के कथन किये गए हैं। स्वयं उजियारसिंह (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान समय में प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर धान की फसल बोया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके पिता के नाम का पट्टा है, किन्तु उक्त पट्टा प्रकरण में पेश नहीं है। कमलसिंह (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर किसका नाम है, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण कास्त करते हैं। इस प्रकार इस साक्षी ने स्वयं वादी के कथन के विपरीत प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य न होने के संबंध में कथन किये हैं, जिससे उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाती है। साक्षी शंभूलाल (वा.सा. 3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर पूर्व से ही रामसिंह एवं प्रतिवादीगण का नाम है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान समय में प्रतिवादीगण ही उक्त भूमि पर कास्त कर रहे हैं।

10— प्रतिवादी पक्ष की ओर से कमलेश (प्र.सा.1), दिलीप सिंह (प्र.सा.2) एवं जालमसिंह (प्र.सा.3) के कथन कराए गए हैं। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उनके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख के रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वादीगण की ओर से प्रदर्श पी-3 एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्श डी-1 के रूप में प्रस्तुत है। उक्त अधिकार अभिलेख से यह प्रकट होता है कि सर्वप्रथम विवादित भूमि मात्र रामसिंह के नाम से दर्ज हुई थी, जिसके एक वर्ष पश्चात् संशोधन के माध्यम से उसके दोनों भाई सोनसिंह एवं मंगलसिंह का नाम भी भूमि स्वामी के रूप में शामिल शरीक रूप से दर्ज हुआ। इसके पश्चात् पुनः संशोधन के माध्यम से वर्ष 1968 में रामसिंह के दोनों भाई सोनसिंह एवं मंगलसिंह का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख से विलोपित हो गया। वर्ष 1968 से लगातार रामसिंह का नाम दर्ज होने के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पांचसाला खसरा वर्ष 1970-71 से 1973-74 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-4 एवं पांचसाला खसरा वर्ष

1976-77 से वर्ष 1979-80 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5 एवं वर्तमान खसरा फार्म में रामसिंह के साथ प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 का नाम भूमि-स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है।

11- वादीगण की ओर से वर्ष 1968 के पश्चात् से विवादित भूमि पर एकमात्र रामसिंह का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होने की जानकारी न होना बताया है, जो कि अस्वाभाविक प्रकट होता है। स्वयं वादी के साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि पर रामसिंह का नाम प्रारंभ से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होने की जानकारी बताया है। ऐसी दशा में वादीगण को वर्ष 2013 में तथाकथित रूप से प्रथम बार रामसिंह व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने और उनका नाम शामिल न होने की जानकारी के संबंध में अभिवचन एवं साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। जहां राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि परस्पर असंगत हों, तो ऐसी दशा में पश्चात्पूर्वी राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि पूर्व राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि पर अधिभावी मानी जा सकती है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख पर वर्ष 1968 से लगातार भूमि स्वामी के रूप में रामसिंह का नाम दर्ज हुआ और उसके पश्चात् रामसिंह के साथ प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 का नाम वर्तमान समय तक दर्ज रहा है। इस प्रकार लगभग 46 वर्ष से निरंतर मात्र रामसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने की जानकारी के संबंध में वादीगण की अनभिज्ञता होना अस्वाभाविक एवं अविश्वसनीय प्रकट होता है।

12- वादीगण की ओर से राजस्व अभिलेख में सोनसिंह एवं मंगलसिंह का शामिल शरीक रूप से रामसिंह के साथ नाम दर्ज होने के संबंध में उक्त राजस्व प्रविष्टि को आधार बनाते हुए यह दावा पेश किया है। यदि तर्क के लिए प्रथमदृष्ट्या अधिकार अभिलेख में राजस्व अधिकारी के दिनांक-26.06.1956 के आदेश अनुसार सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम शामिल शरीक रूप से रामसिंह के साथ दर्ज किये जाने की प्रविष्टि सही होने की उपधारणा की जाती है तो उक्त अधिकार अभिलेख में ही राजस्व न्यायालय के आदेश दिनांक-31.01.1968 के अनुसार सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम खारिज किये जाने की प्रविष्टि की भी सही होने की उपधारणा की जावेगी, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। वादीगण ने विवादित भूमि पर उनके पूर्वजों सोनसिंह एवं मंगलसिंह के समय से लगातार आधिपत्य में होने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है, बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य भी नहीं रहा है।

13— संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि विवादित भूमि मात्र रामसिंह को ही प्राप्त हुई थी और रामसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 काबिज कास्त है। विवादित भूमि पर वादीगण या उनके पूर्वज का कोई हक या अधिकार होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण को विवादित भूमि पर कोई स्वत्व या हक प्राप्त न होने से विवादित भूमि का बंटवारा कराकर पृथक् आधिपत्य प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 व 2 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

सहायता एवं व्यय

14— वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादीगण का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

- (1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
- (2) वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर